TRANSPORT DEPARTMENT

NOTIFICATION
Jaipur, March 08, 2016

In exercise of the powers conferred by section 4-C of the Rajasthan Motor Vehicles Taxation Act, 1951 (Act No. 11 of 1951), the State Government hereby, with immediate effect, makes the following amendments in this department's notification number F.6(179)Pari/Tax/Hqrs/95/22C, dated 14.07.2014, as amended from time to time, namely:-

AMENDMENT

In table of the said notification,-

(i) in column number 3 against item (a) of serial number 2, the existing expression "(subject to a maximum of Rs. 2.00 lacs)" shall be deleted;

(ii) in column number 3 against item (b) of serial number 2, the existing expression "(subject to a maximum of Rs. 2.00 lacs)" shall be deleted;

(iii) in item (1), in column number 2 of serial number 4, for the existing expression "upto 9", the expression "upto 12" shall be substituted;

(iv) in item (2), in column number 2 of serial number 4, for the existing expression "more than 9", the expression "more than 12" shall be substituted; and

(v) in column number 3 against serial number 6, for the existing expression "9%", the expression "1%" shall be substituted.

[F.6(179)/Pari/Tax/Hqrs/95/22D]
By order of the Governor,

(Dr. Manisha Arora)
Joint Secretary to Government

परिवहन विभाग

अधिसूचना

जयपुर, मार्च 08, 2016

राजस्थान मोटर यान कराधान अधिनियम, 1951 (1951 का अधिनियम सं. 11) की धारा 4-ग द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, इस विभाग की समय-समय पर यथा संशोधित, अधिसूचना संख्यांक एफ. 6(179)परि/टैक्स/एचक्यू/95/22सी दिनांक 14.07.2014 में, इसके द्वारा तुरंत प्रभाव से निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

संशोधन

उक्त अधिसूचना की सारणी में,-

(i) क्रम संख्यांक 2 की मद (क) के सामने, स्तंभ संख्यांक 3 में विद्यमान अभिव्यक्ति "(अधिकतम रु. 2.00 लाख के अध्यधीन)" हटायी जायेगी;

(ii) क्रम संख्यांक 2 की मद (ख) के सामने, स्तंभ संख्यांक 3 में विद्यमान अभिव्यक्ति "(अधिकतम रु. 2.00 लाख के अध्यधीन)" हटायी जायेगी;

(iii) क्रम संख्यांक 4 के स्तंभ संख्यांक 2 में, मद (1) में विद्यमान अभिव्यक्ति "9 तक" के स्थान पर अभिव्यक्ति "12 तक" प्रतिस्थापित की जायेगी;

(iv) क्रम संख्यांक 4 के स्तंभ संख्यांक 2 में, मद (2) में विद्यमान अभिव्यक्ति "9 से अधिक" के स्थान पर अभिव्यक्ति "12 से अधिक" प्रतिस्थापित की जायेगी; और

(v) क्रम संख्यांक 6 के सामने, स्तंभ संख्यांक 3 में, विद्यमान अभिव्यक्ति "9 प्रतिशत" के स्थान पर अभिव्यक्ति "1 प्रतिशत" प्रतिस्थापित की जायेगी।

[सं.एफ.6(179)परि/टैक्स/एचक्यू/95/22डी]

राज्यपाल के आदेश से,

डॉ. मनीषा अरोड़ा,

संयुक्त शासन सचिव